

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 239/10

संस्थापन दिनांक:-07/06/10

फाईलिंग नं. 233504000132010

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

लीलाधर पिता इमरत
उम्र 40 वर्ष, निवासी खानापुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 06.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.06.2010 को समय रात्रि 10:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के मकान खानापुर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी शैलेश को धारदार कैची से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2010 को फरियादी करीब रात्रि 10 बजे दुकान से अपने घर आया तब अभियुक्त लीलाधर शराब पीकर उसकी मम्मी से झगड़ा, गाली, गुप्तार कर रहा था। तब फरियादी ने अपने पिता/अभियुक्त को समझाया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी गाली गुप्तार कर मारपीट की तथा बाल काटने की धारदार कैची से उसके बांये तरफ पीठ पसली पर मारा जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा थाने में की गयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 119/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक पुरानी लोहे की कैची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2010 को समय रात्रि 10:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के मकान खानापुर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी शैलेश को धारदार कैची से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 शैलेश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त लीलाधर को जानता है वह उसके पिता है। घटना लगभग 4-5 साल पहले ग्राम खानापुर स्थित उनके घर की सुबह के समय की है। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में घर में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा कर रहा था। अभियुक्त ने उसकी मां को गाली गुप्तार कर मारपीट की थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि जब वह बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया था जिससे उसकी पीठ में टेबल की कील लग गयी थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी जो (प्रदर्श प्री-1) है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

7 साक्षी सकुनबाई (अ.सा.-2) ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त लीलाधर को जानती है वह उ1९7सके पति हैं। घटना दिनांक को आरोपी शराब पीकर उससे वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा कर रहा था। आरोपी ने उसे गाली गुप्तार कर मारपीट की थी जिसमें उसके बेटे ने बीच बचाव किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आरोपी ने उसके बेटे को धक्का दे दिया था जिससे वह गिर गया था और उसकी पीठ में चोट आयी थी।

8 शैलेश (अ.सा.-1) एवं सकुन (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा मारपीट किया जाना बताया है परंतु उक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा कैची से मारपीट किये जाने की बात से इनकार किया है। साक्षी शैलेश (अ.सा.-1) ने अपनी पीठ पर टेबल की कील लग जाने से चोट आना बताया है।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी तथा उसकी मां के साथ वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है परंतु धारदार हथियार कैची से आहत/फरियादी को चोट आयी ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी शैलेश को धारदार कैची से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त लीलाधर को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की कैची अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)